


प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

48 महाराजपुर

(निर्वाचन क्षेत्र)



म. प्र. विद्याभवन

महाराजपुर

देवीदीत

41

जी.सी.एम कॉन्वेंट स्कूल के पास नौगाँव हरपुर (अ.प्र.)

1. मैं ऐसे किसी लॉक मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :-

seen
6-11-08
दिनांक 6-11-08
विधान संख्या 48

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं निरंक
- (ii) पुलिस थाना (थाने) निरंक जिला (जिले) निरंक
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्याधी आरोपित किया गया है निरंक
- (iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई निरंक
- (v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया है निरंक
- (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं निरंक

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं या मजबूत है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादित किया गया है/नहीं किया गया है

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया है और दण्डादित किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :-

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं राजस्व. 8/3468/07-08. दिनांक 8-01-08
- (ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है न्या. तह. तहसील नौगाँव 3003 / अग्रदंड
- (iii) पुलिस थाना (थाने) निरंक जिला (जिले) निरंक
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्याधी आरोपित किया गया है निरंक



(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे निरंक

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक गया है/रोके गए हैं निरंक

स्थान : नौगाँव

(Signature)

अभिभाक्षी के हस्ताक्षर

दिनांक : 5-11-08

मत्वापन

मैं, ऊपर नामित अभिभाक्षी, यह मत्वापन और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु में सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गयी है.

05-11-08 नौगाँव स्थान पर आज तारीख को मत्वापित किया.

(Signature)

अभिभाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पण : इस प्रकृत्य के वे स्तंभ, जो अभिभाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिए जाएं.


Identified by
me

(Signature)

H.C. Kushwaha
Advocate
Nowrang

एच.सी. कुशवाहा

एडवोकेट
सिविल कोर्ट, नौगाँव
नौगाँव



NR 529 ste

was before me this
13.11.08 by Shri Mahesh
Kushwaha 30 Bawrang
been identified by Shri H.C. Kushwaha Adv.
whose signature is appended

(Signature)
5-11-08

(Sitaram Rusia)
Advocate & Notary

Nowrang Dist Chhatarnur M.P.



नामनिर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

48 महाराजपुर

विधानसभा

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से

(सदन का नाम) के निर्वाचन के लिये

मैं, अभ्यर्थी

महेश चन्द

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी

देवीदील

आयु ... 41 वर्ष

निवासी

श्री. सी. राम कॉन्वेंट स्कूल के पास नौगाँव, जिला-इतरपुर

उपरोक्त निर्वाचन में सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान और निम्न प्रकार से एतद्द्वारा शपथपूर्वक कहता हूँ कि (जो लागू न हो उसे काट दें) :-

(1) निम्नलिखित प्रकारण मेरे विरुद्ध लंबित हैं, जिसका/जिनका न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है :- निरंक

- (I) अधिनियम एवं उसकी धारा और अपराध का विवरण, जिसका/जिनका न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है :
- (II) न्यायालय जिसके द्वारा संज्ञान लिया गया है : निरंक
- (III) प्रकरण क्रमांक : निरंक
- (IV) न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के आदेश की तारीख : निरंक
- (V) संज्ञान लेने के उपरोक्त न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील/पुनरीक्षण आदि, यदि कोई हो तो, उसका विवरण :-

(2) मैं इसके द्वारा अपना, पति/पत्नी तथा अपने आश्रितों की परिसम्पत्तियों (अचल/चल, बैंक जमा आदि) का विवरण इसके नीचे दे रहा हूँ *

(क) चल परिसम्पत्तियों के विवरण

(संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को बताते हुए संयुक्त नाम में परिसम्पत्तियों को भी चताना होगा)

क्रम संख्या	विवरण	रुपये	पति/पत्नी का नाम पिनछा	आश्रित-1 का नाम आरती	आश्रित-2 का नाम अनिचल	आश्रित-3 का नाम
1.	नकद	50000	10000	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बैंक, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में जमा धनराशि.	151000	102000	निरंक	निरंक	निरंक
3.	कम्पनियों में बॉण्ड, डिबेन्चर और शेयर	10000 सहारा	5000 सहारा	निरंक	निरंक	निरंक
4.	अन्य वित्तीय साधनों एन.एस.एस., टाक बचत, एल.आई.सी. पॉलिसी आदि.	245000 8700 उत्पन्न 100000	उदाहरण उदाहरण उदाहरण	निरंक	निरंक	निरंक
5.	मोटर वाहन (कम्पनी मॉडल आदि का विवरण).	स्कूटर MP-168A 5893	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6.	गहने (भार तथा कीमत का विवरण दें).	जंजीर 10000	चाँदी-500gm सोना - 100g 35000	निरंक	निरंक	निरंक
7.	अन्य परिसम्पत्तियाँ जैसे दावे का मूल्य/ब्याज	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

टिप्पणी : सूचीबद्ध कम्पनियों के संबंध में बॉण्ड/शेयर/डिबेन्चर की कीमत, स्टाफ एक्सचेंज के अद्यतन बाजार मूल्य के अनुसार तथा गैर-सूचीबद्ध कम्पनियों के मामले में खातों के अनुसार दी जाए.

* आश्रित से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जो अभ्यर्थी की आय पर बहुत सीमा तक आश्रित है.

(Signature)



(ख) अचल परिसम्पत्तियों का विवरण

(टिप्पणी : संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उल्लेख किया जाए)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित-1 का नाम	आश्रित-2 का नाम	आश्रित-3 आदि का नाम
1.	कृषि भूमि —स्थिति (स्थितियां) —सर्वेक्षण संख्या —विस्तार (कुल माप) —वर्तमान बाजार मूल्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	गैर कृषि भूमि —स्थिति (स्थितियां) —सर्वेक्षण संख्या —विस्तार (कुल माप) —वर्तमान बाजार मूल्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	भवन (व्यवसायिक और आवासीय) —स्थिति (स्थितियां) —सर्वेक्षण/दरवाजा नम्बर —विस्तार (कुल माप) —वर्तमान बाजार मूल्य	नोगोव सम्पत्ति नं- 338 30'x 40' 7000000	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	भूकान/अपार्टमेंट आदि —स्थिति (स्थितियां) —सर्वेक्षण/दरवाजा नम्बर —विस्तार (कुल माप) —वर्तमान बाजार मूल्य	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	अन्य (जैसे सम्पत्ति में हिस्सा आदि)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

(Signature)



Form No. 1/2/2000

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

06AA 825466

विलम्ब हुआ है

शपथ पत्र



~~5-11-8~~

भारतीय वीर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

06AA 825467

खलाम् स्याम् १८
श्रावण-पत्र



5-11-8

60